पृ.क्रं.- 104	
पिछला	अगला

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपल

Tel.(Office) 2674212, 2551450,Fax-2551450 E-mail ID-Apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/एफ –8/11/10–10/891 भोपाल, दिनांक/17-3-2011

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,

(क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश

विषयः–वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास ।

देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से वनभूमि पर अतिक्रमण के प्रयास किये जा रहे है, जबकि ग्रामवासियों का ऐसी वनभूमि पर कोई भी अधिपत्य नहीं है । वन अधिकार पत्र प्राप्त करने के लालच में ग्रामवासियों द्वारा सामान्यतः ग्राम से लगी वनभूमि पर वृक्षों को काटकर यथा स्थान छोड दिया जाता है अर्थात वनों की अवैध कटाई करने के उद्देश्य किसी भी प्रकार की लकड़ी चोरी करने का न होकर वनभूमि पर अधिपत्य सिद्व करने का होता है । इन परिस्थितियों में न तो ग्रामवासियों को वनभूमि पर वन अधिकार प्राप्त करने की पात्रता ही रहती है और न ही उन्हें किसी अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त होता है अपितु ग्राम की सीमा से लगे वनक्षेत्र से वनों की कटाई होने के फलस्वरूप ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । अतः इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम अत्यंत आवश्यक है जिसके लिये आपको निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

1– जो वन क्षेत्र ग्रामों की सीमा से लगे हुए है, वनमंड़ल स्तर पर उनकी तत्काल सूची तैयार की जावें ।

2– ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर लिया जाय जो वनों की सीमा से लगे हैं अथवा वनों के अन्दर स्थापित हैं एवं जहां वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र मिल जा चुके है अथवा उनके आवेदन लंबित हैं ।

3– उपरोक्त कंडिका 2 में चिन्हित ग्रामों की सीमा से लगे वनक्षेत्र की निरन्तर निगरानी करने की व्यवस्था की जाय एवं यदि कोई अवैध कटाई पाई जाती है तो तत्काल कार्यवाही की जाय ।

4— जहां—जहां वन समिति गठित हैं, उनकी बैठक आयोजित कराकर समिति सदस्यों से संवाद [illegible] जावे तथा उन्हें कानून के दायरे के तहत समझाईश दी जावें । बैठक में ग्रामों की सीमा से लगे [illegible] महत्व पर भी प्रकाश डाला जावे ।

5— स्थानीय स्तर पर आम जनता एवं कर्मचारियों के माध्यम से सूचना तंत्र विकसित करने का प्रयास किया जावें तथा किसी भी माध्यम से वनों की सुरक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर निरीक्षण किया जाकर कार्यवाही की जावें ।

6— वनों की अवैध कटाई की रोकथाम के संदर्भ में आवश्यक होने पर जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जावें ।

7— वर्तमान में वन सुरक्षा के हित में विभिन्न वनमंडलों में वनचौकियां स्थापित की गई है तथा वाहन भी उपलब्ध कराये गये हैं । अतः आवश्यक होने पर आप अपने वनमंडल में उपलब्ध कर्मचारियों एवं अन्य संसाधनों का वनसुरक्षा हेंतु उपयोग करें । यदि वन वृत्त से किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो उनसे दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर सहयोग प्राप्त करें ।

(हस्ताक्षर) 1/3/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

म0प्र0 भोपाल